

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

108-13818
2/2/04

R. 1/2/04
दिनांक 4-2-04
REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 280
Km. 30
Depth. 30
CPB-928/6 किरा

सं. 29] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2004/माघ 1, 1925
No. 29] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2004/MAGHA 1, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2004

New Delhi, the 21st January, 2004

सा.का.नि. 59(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार का विचार यह है कि विस्फोटक नामतः नाइट्रोग्लाइसीरिन अथवा अन्य कोई पदार्थ चाहे वह उक्त विस्फोटक (श्रेणी 3 डिवीजन 1 के विस्फोटक) का अकेला रसायन यौगिक अथवा मिश्रण हो, बहुत खतरनाक प्रकृति का है;

G.S.R. 59(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the explosive, namely, nitro-glycerine or such other substance whether a single chemical compound or a mixture of the said explosive (explosive of Class 3 Division 1) is of a dangerous character,

और जबकि नाइट्रोग्लाइसीरिन आधारित विस्फोटकों (श्रेणी 3 डिवीजन 1 के विस्फोटकों) का कब्जा निषेध करना जन सुरक्षा के लिए समीचीन है;

And whereas, it is expedient for the security concerns and the public safety to prohibit the possession of nitro-glycerine-based explosives (explosive of Class 3 Division 1);

अतः अब विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अप्रैल, 2004 के प्रथम दिन से देश भर में उक्त विस्फोटकों के कब्जे, बिक्री और प्रयोग का निषेध करती है।

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 6 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby prohibits the possession, sale and use of the said explosives throughout the country with effect from the 1st day of April, 2004.

[फा. सं. 17(3)/2000-विस्फो.]
अ. ए. अहमद, संयुक्त सचिव

[F. No. 17(3)/2000-Expl.]
A. E. AHMAD, Jt. Secy.